Most Immediate
Speed Post

No.26030/266/2014-IC-II
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya
(Foreigners Division)
****

NDCC-II Building, Jai Singh Road,
New Delhi, Dated 17th November, 2014

To,

The Principal Secretary (Home)
of all the States/UTs
(As per standard list)

Subject :- Permission/exemption for manual acceptance of application for grant of Indian Citizenship to Minority Community migrated from Pakistan/Afghanistan .

****

Sir,

I am directed to state the following with reference to Pakistan/Afghanistan nationals of Minority Community (Hindu/Sikhs), who are living in India on LTV, for grant of Indian Citizenship. Government of India have considered the difficulties being encountered by such Pakistan /Afghanistan nationals in submitting their application for grant of Indian Citizenship. Keeping in view of difficulties faced by some of the applicants who have entered India before 31.12.2009 and whose Passports have either expired or lost, the Government has decided to grant relaxation in following manner in submitting their citizenship applications:-

i. The applicant has to be eligible for grant of Indian Citizenship.

ii. The eligible applicants who are facing difficulty in applying in On Line System can submit their application through Off Line.

iii. The LTV of the applicant should be valid at the time of submitting citizenship application at the DM/Collector/DC office.

iv. Children of Minority Community who entered in India on the basis of their parents Passport, they can apply without Passport for grant of Indian Citizenship after regularization of stay in India. They have to register with the FRO of the concerned district for the regularization.

Continued P-2/

v. Children of Minority Community born in India , can apply without Passport for grant of Indian Citizenship after regularization of stay in India. They have to register with the FRO of the concerned district for the regularization.

vi. If an applicant files an affidavit before the authority prescribed under Rule 38 of the Citizenship Rules 2009 that may be considered in lieu of Renunciation Certificate. The applicants have to deposit their expired Passport to Collector/ District Magistrate/Deputy Commissioner office with other documents. Specimen of such an affidavit is enclosed herewith .

2. State Governments/ UTs administrations are therefore requested to take further necessary action accordingly.

Encl. As above

Yours faithfully

17/11/14

(G.K.Dwivedi)
Joint Secretary (Foreigners)
Tel.No.011-2343 8034
Fax No. 011-2343 8033

AFFIDAVIT

I-- son/wife/husband

of____ residing

at--make oath/do solemnly and sincerely affirm and state as under:-

(i) I have already surrendered my Pakistani/Afghani Passport No.------------ issued at ---------------------------valid till------------------------- to the ----------------- vide Embassy Receipt No.------------------------- dated----------------

(ii) I further submit that despite a lapse of three months from the date of submission of my documents to Pakistani/Afghani authorities, renunciation certificate has not been issued to me by the Pakistani/Afghani authorities.

(iii) That I hereby totally and irrevocably renounce all my claims to Pakistani/Afghani nationality willingly and I shall not raise any claim on it in future.

Whatever state above is true to my own knowledge and belief

DEPONENT

Place :-

Date:

Note:- This should be attested by the officer authorized under Rule 38 of the Citizenship Rules 2009 i.e. the Collector/Deputy Commissioner/District Magistrate.

संख्या 26030/266/2014-आई.सी.-।।

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

विदेशी प्रभाग

*****

एन.डी.सी.सी.-।। भवन, जय सिंह रोड,
नई दिल्ली, दिनांक 17 नवम्बर, 2014

सेवा में

प्रधान सचिव (गृह)
सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
(मानक सूची के अनुसार)

विषय: पाकिस्तान/अफगानिस्तान से प्रवासित अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने संबंधी आवेदन को मैनुअल स्वीकृति हेतु अनुमति/छूट।

महोदय,

मुझे अल्पसंख्यक समुदाय (हिन्दू/सिख) के पाकिस्तानी/अफगानिस्तानी राष्ट्रिकों, जो दीर्घावधि वीजा पर भारत में रह रहे हैं, को भारतीय नागरिकता की मंजूरी के संदर्भ में निम्नलिखित के उल्लेख करने का निदेश हुआ है। भारत सरकार ने ऐसे पाकिस्तानी/अफगानिस्तानी राष्ट्रिकों द्वारा भारतीय नागरिकता हेतु आवेदन प्रस्तुत करने में आई कठिनाइयों पर विचार किया है। कुछ आवेदक जिन्होंने 31.12.2009 से पूर्व भारत में प्रवेश किया और जिनके पासपोर्ट या तो समाप्त हो गए हैं या गुम हो गए हैं, के समक्ष आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उन्हें नागरिकता आवेदन प्रस्तुत करने में निम्नलिखित प्रकार की छूट देने का निर्णय लिया है:-

(i) आवेदक भारतीय नागरिकता की मंजूरी हेतु पात्र होना चाहिए।

(ii) पात्र आवेदक जो ऑनलाइन प्रणाली से आवेदन करने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं अपने आवेदन ऑफलाइन भेज सकते हैं।

पत्र होना चाहिए।

(iv) अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे जिन्होंने अपने माता-पिता के पासपोर्ट पर भारत में प्रवेश किया है, वे भारत में प्रवास का नियमितीकरण किए जाने के पश्चात् पासपोर्ट के बिना भारतीय नागरिकता की मंजूरी हेतु आवेदन कर सकते हैं। उन्हें नियमितीकरण हेतु संबंधित जिले के एफ.आर.ओ. के पास पंजीकरण कराना होगा।

(v) भारत में पैदा हुए अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे भारत में प्रवास के नियमितीकरण के पश्चात् पासपोर्ट के बिना भारतीय नागरिकता हेतु आवेदन कर सकते हैं। उन्हें नियमितीकरण हेतु संबंधित जिले के एफ.आर.ओ. के पास पंजीकरण कराना होगा।

(vi) यदि कोई आवेदक नागरिक नियमावली, 2009 के नियम 38 के अंतर्गत विहित प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र दायर करता है तो इस पर त्यजन प्रमाण-पत्र के बदले में विचार किया जाए। आवेदक को अपने समाप्त हो चुके पासपोर्ट अन्य दस्तावेजों के साथ कलक्टर / जिला मजिस्ट्रेट / उपायुक्त कार्यालय में जमा कराने होंगे। ऐसे शपथ-पत्र का एक नमूना इसके साथ संलग्न है।

2. राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से तदनुसार आगामी आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाता है।

संलग्नक : यथोक्त

भवदीय

(जी.के. द्विवेदी)
संयुक्त सचिव (विदेशी)
दूरभाष: 011- 234 8034
फैक्स सं. 011 - 2343 8033

<u>शपथ-पत्र</u>

मैं... पुत्र / पत्नी / पति...

निवासी..स्थान...

..................................पर शपथ लेता हूं। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और निम्नानुसार कहता हूं:

(i) मैंने दिनांक........................ को दूतावास रसीद संख्या .... के तहत्.................... स्थान पर जारी किया गया ....तारीख से .... तारीख तक वैध अपना पाकिस्तानी/अफगानिस्तानी पासपोर्ट संख्या .... अभ्यार्पित कर.........दिया है।

(ii) इसके अतिरिक्त मैं यह भी अनुरोध करता हूं कि पाकिस्तानी / अफगानी प्राधिकारियों के समक्ष अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने की तारीख से तीन माह का समय बीत जाने के बावजूद, पाकिस्तानी / अफगानी प्राधिकारियों द्वारा मुझे त्यजन प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है।

(iii) कि मै एतद्द्वारा पूर्ण और अपरिवर्तनीय रूप से पाकिस्तानी / अफगानी राष्ट्रिकता के अपने सभी दावों का स्वेच्छा से त्याग करता हूं और मैं भविष्य में इस पर कोई दावा नहीं करूंगा।

ऊपर जो कुछ भी कहा गया है मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।

अभिसाक्षी

स्थान:-

तारीख:-

टिप्पणी:- यह नागरिकता नियमावली 2009 के नियम 38 के अंतर्गत प्राधिकारी अर्थात् आयुक्त / उपायुक्त / जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अनुप्रमाणित किया जाना चाहिए।